

केन्द्रीय चयन पर्यद (सिपाही भर्ती)

श्री साई तारा कॉम्पलेक्स, आई0ए0एस0 कॉलनी, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
पटना-801503

(वेबसाइट- www.csbc.bih.nic.in)

बिहार पुलिस बल में नवसृजित “बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन” में
महिला सिपाही के पद की रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु सूचना ।
आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि-18.09.2015 (शुक्रवार)

विज्ञापन संख्या-02/2015

बिहार पुलिस बल में नवसृजित “बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन” में अनुसूचित जनजाति की महिला सिपाही के पद (वितनमान 5200-20200+ ग्रेड पे 2000) की वर्तमान रिक्तियों की संख्या-675 (छः सौ पचहत्तर) है।

इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-02/2015 यहाँ जारी किया जा रहा है ।

बिहार राज्य के अंतर्गत अधिसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं की कार्य कुशलता, परिश्रम एवं उनके सामाजिक उत्थान, अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से सुरक्षित माहौल एवं विधि-व्यवस्था को संधारित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति महिला सशस्त्र बटालियन के सृजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा “बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन” नामक महिला सशस्त्र बटालियन का गठन किया गया है । इस बटालियन में बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की नियुक्ति अद्यतन प्रक्रियानुरूप / नियमानुसार की जायेगी । इस वाहिनी का मुख्यालय चम्पारण क्षेत्र में होगा ।

बिहार पुलिस अधिनियम 2007 (अधिनियम-7, 2007) की धारा- 55, सहपठित धारा- 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा बिहार पुलिस हस्तक में वर्णित सिपाही के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या क्रमशः 1) 4/ब-1-102/2008-6843, दिनांक-11.08.08, 2) 4/ब-1-102/2008/गृ0आ0-377, दिनांक-

06.01.2012, एवं 3) 4/ब1-102/2008/गृ0आ0-4573, दिनांक-13.06.2013 प्रकाशित की गयी हैं (जिन्हें पर्षद की वेबसाइट पर देखा जा सकता है)।

उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा अभ्यर्थियों की पहले लिखित परीक्षा ली जायेगी एवं उसके आधार पर तैयार की गयी मेधा सूची में सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक जाँच-माप परीक्षण के लिए बुलाया जायेगा।

लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच-माप परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की अन्तिम चयन सूची उनकी मेधा के आधार पर तैयार की जायेगी। तदुपरांत अन्तिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा संबंधित इकाई (बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन) के समादेष्टा को भेजी जायेगी। संबंधित समादेष्टा द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी। नियुक्ति के पूर्व वे चयनित उम्मीदवारों के चरित्र का सत्यापन एवं पहचान भली-भाँति जाँचकर सुनिश्चित कर लेंगे।

लिखित प्रतियोगिता परीक्षा :-

आवेदन-पत्रों के संकलन के उपरांत, आवेदन-पत्रों की जाँच की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे उन्हें एडमिट कार्ड डाक द्वारा निर्गत किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड निर्गत किया जायेगा उनकी लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं कक्षा के स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। दो घंटों के एक प्रश्न-पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक देय होंगे। उत्तर-पुस्तिका दो प्रतियों में होगी जिनमें से एक प्रति कार्बन प्रति के रूप में होगी और यह प्रति चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखी जायेगी।

अनुसूचित जनजाति की सभी महिला अभ्यर्थी (गृह रक्षक सहित) जो लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहेंगी, वे निरर्हित (Disqualify) घोषित की जायेंगी तथा उन्हें शारीरिक जाँच-माप परीक्षण में भाग लेने हेतु अयोग्य माना जायेगा।

बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में महिला सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण, उनकी जन्म तिथियों के आधार पर; एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाली दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाली; एवं समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाली अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाली अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा ।

अनुसूचित जनजाति महिला सिपाही के पद के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 5 गुणा अधिक, गैर गृह रक्षक / गृह रक्षक अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच-माप परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा । शारीरिक जाँच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच-माप परीक्षण में सम्मिलित होना होगा एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा परन्तु शारीरिक जाँच-माप परीक्षण के आधार पर कोई अंक देय नहीं होगा । शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी ।

पाठ्यक्रम - लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम पर्सद की वेबसाईट पर देखा जा सकता है तथा वहाँ से Download किया जा सकता है ।

चिकित्सकीय परीक्षण - नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा । आँख, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट-फुट एवं नौकिंग-नी आदि की भी जाँच की जायेगी । नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा ।

अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक 01 जनवरी 2015 को):

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए ।

अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :- दिनांक 01.01.2015 अथवा इसके पूर्व इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए ।

आरक्षण :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे ।

i) **गृह रक्षकों के लिए प्रावधान:**

परन्तु सिपाहियों की कुल उपलब्ध रिक्तियों के अधिकतम 50 प्रतिशत को केवल बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृहरक्षकों से भरा जा सकेगा । गृहरक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए भी बिहार अधिनियम- 3, 1992 के प्रावधानों के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा ।

गृहरक्षकों से भरी जानेवाली रिक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में पाँच वर्षों की छूट दी जाएगी ।

योग्य गृह रक्षक महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में गृह रक्षक कोटे की शेष रिक्तियों को उसी कोटे (अनुसूचित जनजाति) की गैर गृह रक्षक महिला अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा ।

अनुसूचित जनजाति की गृह रक्षक महिला अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की कट-ऑफ तिथि 01.01.2015 निर्धारित की जाती है ।

ऊँचाई -

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 155 सेन्टीमीटर ।

शारीरिक योग्यताएँ -

(1) **दौड़ -**

एक किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा :-

6 मिनट (अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी)।

(2) **ऊँची कूद -**

न्यूनतम 3 (तीन) फुट

(3) **लंबी कूद -**

न्यूनतम 9 (नौ) फुट

(4) **गोला फेंक -**

12 पौंड का गोला न्यूनतम 10 (दस) फुट फेंकना होगा ।

रिक्ति :- अनुसूचित जनजाति महिला सिपाही - 675 (छः सौ पचहत्तर) ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र :- अनुसूचित जनजाति की महिला सिपाही के पद पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । **दिनांक-30.07.2015 (गुरुवार)** से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाईट - www.csbc.bih.nic.in पर विस्तार से बताया गया

है । सभी महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा । ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति में आवेदन-पत्र के मूल्य को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 200/- (दो सौ) रुपये निर्धारित किया गया है ।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों से Online Transaction से संबंधित प्रोसेसिंग चार्ज (Processing Charges) एवं इस पर सर्विस टैक्स (Service Tax) के रूप में अलग से उपयुक्त राशि ली जायेगी । उपरोक्त सभी राशि का भुगतान ऑनलाइन करना होगा ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें । यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर Bihar Police के Tab पर क्लिक करेंगे । इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन-पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जाता है । इस क्रम में अभ्यर्थी से उनका मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल लिया जाता है तथा इन दोनों के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ भेजी जाती हैं । मोबाइल नम्बर का प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करते हैं, अतः पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल अनिवार्य है । अभ्यर्थी द्वारा अपनी ई-मेल आइडी (e-mail Id) अँग्रेज़ी के छोटे अक्षरों में प्रविष्ट करना है जो अनिवार्य है । यदि आपकी अपनी ई-मेल आइडी (e-mail Id) नहीं है तो इस स्थिति में अपनी ई-मेल आइडी (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में शुल्क के भुगतान संबंधी अथवा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आइडी (e-mail Id) पर दी जायेंगी ।

पंजीकरण करने के पश्चात अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र के मूल्य एवं (प्रोसेसिंग चार्ज + Service Tax) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा । तत्पश्चात अभ्यर्थी के मोबाइल नम्बर पर एक SMS भेजा जायेगा जिसमें उनके द्वारा सफलतापूर्वक पंजीकरण किये जाने की सूचना के साथ पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा जिसका प्रयोग आवेदन-पत्र भरने के आगे के चरणों में किया जायेगा ।

एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा । आवेदन-पत्र भरते समय मोबाइल नम्बर अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा ।

एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगी उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

आवेदन-पत्र भरने के पश्चात अभ्यर्थी को अपना भरा हुआ आवेदन-पत्र A/4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) करना होगा । प्रिंट किये गये आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी अपना हाल का (एक माह के अंदर का) खींचा हुआ रंगीन फोटो चिपकायेंगी । आवेदन-पत्र पर मुद्रित 'घोषणा' के नीचे दिये गये दो बॉक्स के अन्दर अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर क्रमशः अँग्रेजी एवं हिन्दी में करेंगी । तत्पश्चात फोटो लगे एवं हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र को स्कैन करने के उपरान्त अभ्यर्थी वेबसाईट पर अपलोड (Upload) कर देंगी । सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर SMS भेज कर इसकी सूचना दी जायेगी । इसके साथ ही आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी ।

आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगी कि वे दिनांक-01.01.2015 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आदि सभी पात्रता को पूर्ण करती हैं।

अभ्यर्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन-पत्र में अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगी । आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता, आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरें । प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

गैर गृह रक्षक कोटि की आवेदिका यदि आवेदन-पत्र में स्वयं को गृह रक्षक कोटि का घोषित करेंगी तो इसका पता चलने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

महत्वपूर्ण निर्देश :-

भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Form Number आवश्यक है । अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र (फोटो सहित) की

छायाप्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें । केन्द्रीय चयन पर्वद से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि-18.09.2015 (शुक्रवार) निर्धारित है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा ।

आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदन-पत्रों के जाँचोपरान्त अभ्यर्थियों का डाटा बेस बनाकर लिखित परीक्षा के लिए उन्हें प्रवेश-पत्र डाक द्वारा निर्गत किया जायेगा । लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विधिवत सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से यथासमय दी जायेगी ।

अध्यक्ष,
केन्द्रीय चयन पर्वद,
बिहार, पटना ।